अध्याय – 17 (मैन्युअल–17)

अन्य उपयोगी जानकारियॉं

Chapter-17 (Manual-17)

Other Useful information

18.1 म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था से जनमानस द्वारा सामान्यतः पूँछे जाने वाले प्रश्न व उनके उत्तर।

म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा सामान्यतया आवेदित कृषकों का फसल पंजीयन किया जाकर बीजों का प्रमाणीकरण निर्धारित मानकों के अन्तर्गत किया जाता है। संस्था द्वारा किसी प्रकार की योजनाओं/अनुदान से संबंधित कार्य नहीं किया जाता है। अतः सूचना के अधिकार के अन्तर्गत आम जनता या चाहने वालों के लिए निम्न जानकारी प्रदाय की जा सकती है:–

(1) बीज प्रमाणीकरण प्रक्रिया की जानकारी।

(2) बीज प्रमाणीकरण शुल्क की जानकारी।

(3) पंजीकृत बीज उत्पादक संस्थाओं की जानकारी।

(4) पंजीकृत बीज प्रक्रिया केन्द्रों की जानकारी।

18.2 सूचना प्राप्त करने के संबंध में।

- म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था से जानकारी प्राप्त करने हेतु कोई निर्धारित प्रपत्र नहीं है।
- जानकारी प्राप्त करने हेतु नियमानुसार निर्धारित राशि जमा करना होगा।
- सामान्य आवेदन पत्र के माध्यम से, निर्धारित शुल्क जमा कर संस्था से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
- म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था से सूचना प्राप्त न होने पर सामान्य प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष/कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय को अपील की जा सकती है।

18.3 म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा जनता को दिये जाने वाले प्रशिक्षण के संबंध में।

- म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा वर्तमान में कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं किये जाते हैं।

18.4 म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि के संबंध में, जो कि मैन्युअल 13 में सम्मिलित न हो।

- म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा कृषकों/उत्पादक संस्थाओं द्वारा पंजीकृत कृषकों के खेत/बीज स्तर पर मानकों के अनुरूप पाये जाने पर बीजों की पैकिंग एवं टैगिंग का कार्य किया जाता है, जिस के लिये भारतीय न्यूनतम बीज मानकों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रमाणपत्र दिया जाता है। जिसकी एक प्रति उत्पादक संस्था को उपलब्ध कराई जाती है।

18.5 म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था में होने वाले पंजीयन के संबंध में।

म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था में निम्न प्रकार के पंजीयन किये जाते हैं :–

(अ) उत्पादक संस्था का पंजीयन

• पंजीयन का उद्देश्य	–	उत्पादक संस्था का पंजीयन।
• आवेदक की पात्रता	–	बीज व्यवसाय से सम्बद्ध हो।
• पूर्वापेक्षाऐं	–	–
• आवेदन करने के लिए कहॉ एवं किससे संपर्क करें	–	बीज प्रमाणीकरण अधिकारी (संबंधित समस्त संभागीय कार्यालय) से
• आवेदन शुल्क (जहॉ उचित हो)	–	आवेदन फार्म – रू. 25/– प्रति आवेदन पंजीयन शुल्क – (एक वर्ष हेतु) रू. 2000/– प्रति उत्पादक संस्था नवीनीकरण शुल्क– (एक वर्ष हेतु) रू. 750/– प्रति उत्पादक संस्था आवेदन फार्म – रू. 25/– प्रति आवेदन पंजीयन शुल्क – (तीन वर्ष हेतु) रू. 6000/– प्रति उत्पादक संस्था नवीनीकरण शुल्क– (तीन वर्ष हेतु) रू. 2250/– प्रति उत्पादक संस्था
• अन्य शुल्क (जहॉ उचित हो)	–	–
• आवेदन पत्र का प्रारूप	–	संस्था के कार्यप्रणाली के साथ संलग्न परिशिष्ट क्रमांक–I ।
• संलग्नकों की सूची	–	बीज व्यवसाय का लायसेंस एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र।
• संलग्नकों का प्रारूप	–	आवश्यक नहीं।
• आवेदन करने की प्रक्रिया	–	संभागीय कार्यालय स्तर पर बीज प्रमाणीकरण अधिकारी को निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन करें।
• आवेदन करने के बाद लोक प्राधिकरण में होने वाली प्रक्रिया	–	बीज प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा समस्त अर्हताऐं पूर्ण पाये जाने पर पंजीयन हेतु प्रबंध संचालक को अग्रेषित किया जाता है।
• प्रभावी रहने की समय सीमा	–	पंजीयन एक वर्ष अथवा तीन वर्ष तक के लिए वैध रहता है, जिसकी वैधता 31 मार्च तक वैध रहती है।
• नवीनीकरण की प्रक्रिया	–	वैधता समाप्त होने के तिथि से 15 मार्च तक नवीनीकरण हेतु निर्धारित आवेदन एवं शुल्क के

साथ पुनः आवेदन दिया जाता है। यदि निर्धारित तिथि में आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो नवीन प्रकरण माना जाकर पंजीयन किया जाता है।

(ब) बीज प्रक्रिया केन्द्र का पंजीयन

• पंजीयन का उद्देश्य	–	बीज प्रक्रिया केन्द्र का पंजीयन
• आवेदक की पात्रता	–	बीज उत्पादक संस्था का पंजीयन अनिवार्य।
• पूर्वापेक्षाऐं	–	–
• आवेदन करने के लिए कहॉ एवं किससे संपर्क करें	–	बीज प्रमाणीकरण अधिकारी (संबंधित समस्त संभागीय कार्यालय)
• आवेदन शुल्क (जहॉ उचित हो)	–	पंजीयन शुल्क – रू. 1500/– प्रति केन्द्र (एक वर्ष हेतु) नवीनीकरण – रू. 1000/– प्रति केन्द्र (एक वर्ष हेतु)
		पंजीयन शुल्क – रू. 4500/– प्रति केन्द्र (तीन वर्ष हेतु) नवीनीकरण – रू. 3000/– प्रति केन्द्र (तीन वर्ष हेतु)
• अन्य शुल्क (जहॉ उचित हो)	–	–
• आवेदन पत्र का प्रारूप	–	संस्था की कार्यप्रणाली के साथ संलग्न परिशिष्ट–VI अनुसार।
• संलग्नकों की सूची	–	आवेदन के साथ चाहे गये संलग्नक
• संलग्नकों का प्रारूप	–	–
• आवेदन करने की प्रक्रिया	–	संभागीय कार्यालय स्तर पर बीज प्रमाणीकरण अधिकारी को निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन करें।
• आवेदन करने के बाद लोक प्राधिकरण में होने वाली प्रक्रिया	–	बीज प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा समस्त अर्हताऐं पूर्ण पाये जाने पर पंजीयन हेतु प्रबंध संचालक को अग्रेषित किया जाता है।
• प्रभावी रहने की समय सीमा	–	पंजीयन एक वर्ष अथवा तीन वर्ष तक के लिए वैध रहता है, जिसकी वैधता 31 मार्च तक वैध

		रहती है।
• नवीनीकरण की प्रक्रिया	–	वैधता समाप्त होने के तिथि से 15 मार्च तक नवीनीकरण हेतु निर्धारित आवेदन एवं शुल्क के साथ पुनः आवेदन दिया जाता है। यदि निर्धारित तिथि में आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो नवीन प्रकरण माना जाकर पंजीयन किया जाता है।